संख्याः 33 /XXVI/छः(2)/2009

प्रेषक,

एस0 रामास्वामी,
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

1. समस्त प्रमुख सचिव/सचिव,
उत्तराखण्ड देहरादून।
2. समस्त विभागध्यक्ष,
उत्तराखण्ड।

नियोजन अनुभाग–2 देहरादून, दिनांकः 6 दिसम्बर, 2010

विषयः– शासकीय विभागों के विविध निर्माण कार्यों के सम्पादन हेतु कार्यदायी संस्था का निर्धारण।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक लोक निर्माण विभाग के शासनादेश सं0–452/XXVII(I)/2005, दिनांक 05 अप्रैल, 2005, शासनादेश सं0–39/XXVII/2007, दिनांक 14 अगस्त, 2007, शासनादेश सं0–65/XXVII/2007, दिनांक 27 सितम्बर, 2007, शासनादेश सं0–407/94–अधिष्ठान/2006 दिनांक 01 फरवरी, 2008, शासनादेश सं0–1738/III(I)/08–04 (सामान्य)/08, दिनांक 17 जुलाई, 2008, शासनादेश सं0–2050/III(I)/08–04(सामान्य)/08, दिनांक 21 अगस्त, 2008, शासनादेश सं0–504/III(I)/09–04 (सामान्य)/08, दिनांक 13 मार्च, 2009 एवं नियोजन विभाग के शासनादेश सं0–185/XXVI/04 (सा0)/08, दिनांक 15 अक्टूबर, 2009 तथा शासनादेश सं0–08/XXVI/छः(2)/2009, दिनांक 11 फरवरी, 2010 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिनके द्वारा शासकीय विभागों के विविध निर्माण कार्यों हेतु कार्यदायी संस्थाओं के निर्धारण के संबंध में दिशानिर्देश निर्गत किये गये थे।

2. उक्त के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासकीय निर्माण कार्यों के सम्पादन हेतु कार्यदायी संस्थाओं के निर्धारण के संबंध में मा0 मंत्रिमण्डल के निर्णय/आदेश के क्रम में निम्नवत कार्यवाही किए जाने का निर्णय लिया गया हैः–

1. सिंचाई विभाग के पास निक्षेप कार्य हेतु उपलब्ध 26 खण्डों के दृष्टिगत निर्माण कार्यों हेतु विद्यमान पर्याप्त तकनीकी कार्मिक व अवस्थापना सुविधाओं के दृष्टिगत सिंचाई विभाग को पुनः कार्यदायी संस्था नामित किया जाता है।
2. गढवाल मण्डल विकास निगम एवं कुमाऊँ मण्डल विकास निगम को उनमें उपलब्ध अभियन्त्रण इकाईयों के दृष्टिगत अपने–अपने निगम से संबंधित कार्यों को मानक के अनुसार सम्पादित करने के लिए अधिकृत किया जाता है।

3. ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा विभाग, उत्तराखण्ड की तकनीकी क्षमता एवं उपलब्ध कार्यप्रभार तथा निर्माण कार्यों की लागत में हो रही बढोतरी को देखते हुए अब ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा विभाग को ₹ 2.50 करोड़ लागत तक के निर्माण कार्यों हेतु कार्यदायी संस्था बनाया जाता है।

4. प्रदेश में निर्माण कार्यों के लिए क्षमता की कमी के दृष्टिगत उत्तर प्रदेश राजकीय निर्माण निगम को कार्यदायी संस्था के रूप में उसकी कार्य क्षमता तथा विगत अनुभवों के आधार पर दिनांक 31 मार्च, 2012 तक नये कार्य आवण्टित किए जा सकते हैं।

3. उक्त विषयक पूर्व में निर्गत शासनादेश इस सीमा तक संशोधित समझे जायेंगे।

भवदीय,

(एस0 रामास्वामी)
सचिव।

पृ0संख्या:– (1)/XXVI/छ:(2)/2009, तददिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:–

1– प्रमुख सचिव, मा0 मुख्यमंत्री जी को मा0 मुख्यमंत्री जी के संज्ञानार्थ।

2– अध्यक्ष, उत्तराखण्ड राज्य अवस्थापना विकास निगम।

3– निजी सचिव, मुख्य सचिव को मुख्य सचिव महोदय के संज्ञानार्थ।

4– निदेशक, एन0आई0सी0, उत्तराखण्ड सचिवालय, देहरादून।

5– प्रभारी मीडिया सेन्टर, सचिवालय, देहरादून।

6– गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(पी0एस0 जंगपांगी)
अपर सचिव।

06120